# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
## राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प माझावास

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–80/2017 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

1. श्रीमती पारस पुत्री रतनलाल जाट निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. श्रीमती नर्बदा पुत्री रतनलाल रतनलाल जाट निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
3. कमला पुत्री रतनलाल जाट निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

––प्रार्थी

बनाम

1. हांसु पिता रतनलाल जाट निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. बद्री पिता रतनलाल जाट निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
3. मेहताबी पत्नी रतनलाल जाट निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए ::

निर्णय दिनांकः– 29.05.2018

:: निर्णय ::

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 के तहत मुकाम माझावास प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण व विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3एक ही परिवार के सदस्य होकर हिन्दु विधी से शासित होते है मजरे अनुसार रतनलाल पुत्र मोहनलाल जाट के दो पुत्र हंसराज, बद्रीलाल तथा तीन पुत्रियां मु. पारस, मु. नर्मदा, मु. कमला जो उक्त प्रकरण में प्रार्थीयागण व एक पत्नी मेहताबी है। ग्राम माझावास तह. सहाड़ा में प्रार्थीयागण के दादाजी मोहनलाल पुत्र उदयराम जाट के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 628 में वर्णित आराजी संख्या 268/0.19 है. 464/0.41 है. 465/0.20 है. 469/0.03 है. 470/0.03 है. 481/0.64 है. 2639/58/0.30 है. 2642/610/0.17 है. कुल किता 8 रकबा 1.97 है स्थित है। प्रार्थीयागण मृतक रतनलाल की आराजियात के 1/6,1/6, 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार होने की घोषणा कराने की कानूनन अधिकारिणी हैं।

प्रार्थीयागण ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थीयागण का प्रा. पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता फेसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ग्राम माझावास के खाता संख्या 628 में वर्णित आराजी संख्या 268/0.19 है. 464/0.41 है. 465/0.20 है. 469/0.03 है. 470/0.03 है. 481/0.64 है. 2639/58/0.30 है. 2642/610/0.17 है. कुल किता 8 रकबा 1.97 है। भूमि को किसी अन्य को विक्रय रहन बय बक्षीस व अन्य किसी भी तरिके से हस्तान्तरित नहीं करे तथा कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे व न किसी अन्य से करावें।

प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2017 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण अनु.0 रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीयागण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीयागण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रा. पत्र स्वीकार करने बाबत निवेदन किया। मैंने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया ग्राम माझावास के खाता संख्या 628 में वर्णित आराजी संख्या 268/0.19 है.

464/0.41 है. 465/0.20 है. 469/0.03 है. 470/0.03 है. 481/0.64 है. 2639/58/0.30 है. 2642/610/0.17 है. कुल किता 8 रकबा 1.97 है भूमि जमाबन्दी संख्या 2052/2054 में प्रार्थीयागण के दादाजी मोहनलाल पुत्र उदयराम जाट के नाम रेकार्ड होना पाया जाता है तथा प्रार्थीयागण मृतक खातेदार मोहनलाल पुत्र उदयराम की पौत्रिया होकर रतनलाल की जायन्दा पुत्रियां है जो कि प्रथम श्रेणी की वारिस होकर उक्त वर्णित आराजियात में 1/6,1/6, 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार होने की कानूनन अधिकारिणी है अतः प्रार्थियागण का प्रथम दृष्टिया मामला होने तथा सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थियागण के पक्ष में साबित होने से प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः एवं

आदेश

प्रार्थीयागण का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम माझावास के आराजी संख्या 268/0.19 है. 464/0.41 है. 465/0.20 है. 469/0.03 है. 470/0.03 है. 481/0.64 है. 2639/58/0.30 है. 2642/610/0.17 है. कुल किता 8 रकबा 1.97 है. भूमि में प्रार्थीयागण के पक्ष में विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा मूलवाद के ता. फेसला तक जारी की जाती है। कि उपरोक्त वर्णित आराजियात विपक्षीगण किसी अन्य को विक्रय रहन बय बक्षीस व अन्य किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे व न अन्य से करावें। पत्रावली बाद दाखलाल रजिस्टर के फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय मेंरे द्वारा लियाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के साथ संग्रह की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)